

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख
--------	---------------------------------	---------------

20/1/25

मौदत विस मुक्का

अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधिवक्ता अनु०। वादी एवं वादी अधिवक्ता को नियमानुसार तीन बार धाबजि लगाई गई। परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वादी एवं वादी अधिवक्ता को न-आपारेंट में पुनः एक बार धाबाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वादी एवं वादी अधिवक्ता के न-आपारेंट में उपस्थित नहीं आने के कारण वादी द्वारा उफरुत बाउ अन्वर्ति धारा 53 शरकानन काश् नकारी अधिविदम को भद्रक हाजरी- अदम पाबी में जारी किया जाता है। निर्णय से इजलास सुनाया जाता है। पत्रावली वादी को।

पत्रावली फौजल सुमार लोक दायील
दफ्तरे ले तका नम्बर से कम है।


20/1/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. मोहन नाथ पिता मांगू नाथ जाति नाथ आयु वयस्क निवासी ओझागर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. मुकेश पिता नन्दा जाति सुथार आयु बालिग निवासी ओझागर हाल मुकाम गुजरी खेड़ा, भीमगढ तह0 राशमी जिला चितोड़गढ
2. देबीलाल पिता जालू जाति गुर्जर निवासी ओझागर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. जयराम पिता हजारीलाल जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी ओझागर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत विभाजन कराये जाने कृषि आराजीयात

प्रकरण संख्या 32/2019 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री मुरली वैष्णव अनुपस्थित — इस वाद में आज तारीख 20.01.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा